न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 108/2018 (225 आरटीए) भंवरलाल वगै. बनाम जितेन्द्रसिंह वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00230)

1 भंवरलाल पुत्र भैराराम,
2 पुनाराम पुत्र भैराराम,
3 भींयाराम पुत्र भैराराम,
4 मुन्नाराम पुत्र भैराराम,
5 सायरी पत्नी भैराराम,
6 खम्मा पुत्री भैराराम,
7 मीरा पुत्री भैराराम,
8 गोगी पुत्री भैराराम,
9 सीता पुत्री भैराराम,
10 खेताराम पुत्र रुगाराम,
11 बलदेवरराम पुत्र रुगाराम,
12 महिपाल पुत्र स्व. भीखाराम,
13 सुरजीतसिंह पुत्र स्व. भीखाराम,
14 शोभादेवी पुत्री स्व. भीखाराम,
15 सीतादेवी पत्नी स्व. भीखाराम,
16 धोकलराम पुत्र दौलाराम,
17 मंगलाराम पुत्र दौलाराम,
18 नत्थाराम पुत्र दौलाराम,
19 पन्नाराम पुत्र दौलाराम,
20 कुशालराम पुत्र दौलाराम,
21 केसी पत्नी दौलाराम

सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम सेवकी खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 जितेन्द्रसिह पुत्र स्व. मदनसिंह,
2 सुमनकंवर पुत्री स्व. मदनसिंह,
3 पूजा कंवर पुत्री स्व. स्व. मदनसिह,
4 श्रीमती धापुकंवर पत्नी स्व. मदनसिंह,
5 बेरीसालसिंह पुत्र स्व. नरपतसिंह,

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6 गायड़सिंह पुत्र स्व. नरपतसिंह,
7 परबतसिंह पुत्र स्व. नरपतसिंह,
8 जेतसिंह पुत्र स्व. नरपतसिंह,
9 मधुसिंह पुत्र स्व. नरपतसिंह,
सभी जातियान राजपूत निवासीगण, ग्राम सेवकी खुर्द तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
10 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बावड़ी।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बावड़ी
दिनांक 27.06.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 99/2018

उपस्थित :
1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धाराम चौधरी एवं श्री मानवेन्द्र चौधरी।
2 रेस्पो. सं. 1 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चंपावत।
3 रेस्पो. सं. 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 14.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 99/2018 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण धारा 96 सी.पी.सी के तहत अपील अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 से 9 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 99/2018 पेश किया कि पूर्व कदीमी रास्ता खसरा नं. 116 से आगे खसरा नं. 127/1 में जाता रहा है जो लाल स्याही से अंकित है को कच्ची पत्थरों की दीवार बनाकर रेस्पो. बन्नाराम उर्फ भानाराम वगै. ने बंद कर दिया है जिसकी वजह से प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नं. 127/1 में कृषि कार्य व खेत की सार संभाल करने व पशु लाने ले जाने से वंचित हो गए हैं। उक्त

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खेत में आने जाने का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आस–पास मौजूद नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बावड़ी से रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिनांक 26.04.2018 को पारित किया। तहसीलदार बावड़ी के आदेश दिनांक 08.05.2018 की अनुपालना में पटवारी एवं भू–अभि. निरीक्षक बुचेटी ने मौके पर जाकर फर्द प्रार्थीगण के प्रस्तावित रास्ते अनुसार बनाकर दिनांक 17.05.2018 को कैंप बुचैटी में पेश हुई तथा पत्रावली वास्ते कायम मुकाम व जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 05.07.2018 को पेश हुई। रेस्पो. संख्या 1 से 9 द्वारा राजस्व कैंप कोर्ट कजनाउ कलां में दिनांक 20.06.2018 को मिसल पेश हुई तथा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। पत्रावली वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 27.06.2018 को निर्धारित की गई। शिविर प्रभारी अधिकारी ने दिनांक 27.06.2018 को कैंप कोर्ट बावड़ी में मनमाने तरीके से तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट्स के खेत खसरा नं. 118 में से 20 फुट रास्ता निकालने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्ञ अपील अनुमति की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धाराम चौधरी एवं श्री मानवेन्द्र चौधरी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। रेस्पो. सं. 1 से 9 द्वारा पूर्व कदीमी रास्ता खसरा नं. 116 से आगे खसरा नं. 596 की पूर्वी मांठ पर चल रहे रास्ते को पत्थर की दीवार बनाकर बंद करने से रेस्पो. के खेत खसरा नं. 127/1 में आने जाने में व्यवधान उत्पन्न हो गया जिस हेतु रेस्पो. द्वारा मात्र खसरा नं. 596 से ही नए रास्ते की मांग की गई थी जो शिविर प्रभारी अधिकारी ने रेस्पो. की प्रार्थना के विरुद्ध जाकर अपीलांट्स के खेत खसरा नं. 118 में से नया रास्ता निकालने का आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। अपीलांट्स को बिना सुने उनकी पीठ पीछे अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित कर भारी भूल की है। शिविर प्रभारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खसरा नं. 116 वाला रास्ता खसरा नं. 596 में प्रवेश होता है। खसरा नं. 118 में से

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होकर मांग नहीं की फिर भी रास्ता दे दिया है एवं खसरा नं. 596 में यदि दीवार बना दी तो उसे हटवाते हुए रास्ता दिया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकारान को बुलाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मजमे आम में निर्णय करना बताया जा रहा है लेकिन आदेशिका पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता दिया है उसके निकटतम रास्ता होने के सबंध में कोई रिपोर्ट मौका फर्द में अंकित नहीं हैं। प्रभावित पक्षकार को ही अपील में पक्षकार बनाया है उन्हें प्रोफार्मा पक्षकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं हैं परंतु यह एक तकनीकी त्रुटि है। मौका फर्द के अनुसार प्रस्तावित रास्ता अलग है लेकिन आदेश में डी–ई मार्ग स्वीकृत किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अपीलांट खसरा नं. 118 के रिकार्डेड खातेदार हैं जिसमें से होकर रास्ता स्वीकृत कर दिया है अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपील अनुमति का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया एवं तदनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 को निरस्त करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चंपावत ने बहस में कथन किया कि अपीलांट्स ने अपील में दावे के सभी पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया है चाहे भले ही प्रोफार्मा पक्षकार बनाते परंतु पक्षकार बनाना चाहिए था। खसरा नं. 596 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। धारा 251ए में समरी इन्क्वारी करके प्रभावित काश्तकार को रास्ता दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं जिसमें डी.एल.सी की दर के आधार पर मुआवजा देने के बाद रास्ता देने का प्रावधान किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर जांच के बाद निकटतम रास्ता स्वीकार किया है जिसकी पुष्ठि मजमे आम में भी की गई तथा डी से ई का रास्ता 20 फुट चौड़ाई का स्वीकृत किया है व उसके लिए प्रभावित खातेदारान को डी.एल.सी. की दुगनी दर से मुआवजा देने के आदेश हैं जिसकी राशि न्यायालय में जरिए डीडी जमा करा दिए हैं। अपीलांट न्यायालय को आदेश 41 नियम 23 व 24 के तहत यह शक्तियां प्राप्त हैं कि यदि पत्रावली पर समस्त साक्ष्य मौजूद है तो प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अपीलांट न्यायालय को अपने स्तर से निर्णय पारित करना चाहिए। नक्शे में ए–बी स्थान पर पक्की दीवार होने से तथा वह रास्ता निकटतम नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने डी–ई रास्ता घोषित किया है। अतः

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. अगस्त 2006 पेज 515, 2010(2) आर.आर.टी. 1344, 2009(1) आर.आर.टी. 49, 2007(1) आर.आर.टी. 385 (हाईकोर्ट) पेश किए गए।

6 रेस्पो. सं. 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों के आधार पर उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा अपीलांट खसरा नं. 118 के रिकार्डेड खातेदार हैं जिसमें से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के जरिए रास्ता घोषित कर दिया है। अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपील अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। रेस्पो. की ओर इस पर कोई आपत्ति नहीं गई। अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपील अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अपने खेत ग्राम सेवकी खुर्द के खसरा नं. 127/1 के लिए ग्राम सेवकी कला के खसरा नं. 596 में सें संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ते की मांग धारा 251क के तहत की गई। प्रकरण में दिनांक 26.04.2018 को तहसीलदार बावड़ी से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी करने के आदेश दिए गए जिसकी पालना में दिनांक 17.05.2018 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में दिनांक 27.06.2018 को फॉलोअप कैंप कोर्ट बावड़ी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो इस प्रकार है :–

"पत्रावली में पेश तहसीलदार बावड़ी की मौका रिपोर्ट एवं अप्रार्थीगण के जबाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 में भू–अभिलेख निरीक्षक बुचेटी व गंगाणी एवं पटवारी हल्का सेवकी कला एवं बोड़वी खुर्द द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण किसी के हस्ताक्षर या अंगूठे नहीं करवाए गए हैं एवं न ही मौका रिपोर्ट में निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता से निकटतम रास्ता खसरा नं. 118

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

में से होकर खसरा नं. 127/1 में पहुंचा जा सकता है। जबकि मौका रिपोर्ट में टीम द्वारा खसरा नं. 596 ग्राम सेवकी कलां में से प्रस्तावित किया गया है। जो खसरा नं. 118 की रास्ते की दूरी से ज्यादा दूरी है। प्रार्थीगण को निकटतम रास्ता ग्राम सेवकी खुर्द खसरा नं. 118 में से प्रस्तावित नहीं कर ग्राम सेवकी कला के खसरा नं. 596 में से जो दूर है प्रस्तावित किए जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। न्यायालय हाजा द्वारा मजमे आम कैम्प कोर्ट बावड़ी में मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2018 में ग्राम सेवकी खुर्द में खसरा नं. 118 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया जाना न्यायोचित एवं उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251क आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम सेवकी खुर्द तहसील बावड़ी में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 127/1 में आने जाने वाली हेतु खसरा नं. 118 के उत्तरी माठ से होते हुए मौका फर्द में प्रस्तावित मार्क डी से ई 20 फीट चौड़ा रास्ता अनुज्ञात किया जाता है। तहसीलदार बावड़ी को आदेश दिया जाता है कि अनुज्ञात किया गया रास्ता मार्क डी से ई की 20 फीट चौड़ा रास्ता का रकबा निकाल कर प्रार्थीगण को अवगत करावें। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगनी राशि खसरा नं. 118 के खातेदारान को उनके हक हिस्से अनुसार भुगतान हेतु राशि तहसील कार्यालय में जमा कराएंगे। राशि जमा होने पर तहसीलदार बावड़ी अनुज्ञात किए गए रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम कर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराएंगे। मौका फर्द प्रस्तावित इस निर्णय का भाग रहेगी। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।"

9 अधीनस्थ न्यायालय के विवेचन व अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 596 से रास्ते की मांग की गई थी लेकिन अपीलाधीन आदेश के द्वारा खसरा नं. 118 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन खसरा नं. 118 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही उनको सुनवाई का अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में जो फाइंडिंग दी है कि "मौका फर्द जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण किसी के हस्ताक्षर या अंगूठे नहीं करवाए गए हैं एवं न ही मौका रिपोर्ट में निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता से निकटतम रास्ता खसरा नं. 118 में से होकर खसरा नं. 127/1 में पहुंचा जा सकता है।" परंतु यह फाइंडिंग किस आधार पर दी

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पस्ट अंकित नहीं किया है। अपीलांट अधिवक्ता ने भी यही आपत्ति की है कि मौका फर्द में निकटतम मार्ग के संबंध में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट के अपीलाधीन आदेश में दिए गए रास्ते को निकटतम किस आधार पर माना गया है तथा खसरा नं. 118 के खातेदारान को अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व प्रकरण में पक्षकार भी नहीं बनाया गया और न ही उन्हें किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया गया।

हमने धारा 251क एवं उससे संबंधित नियमों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। धारा 251क के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 तक विहित प्रक्रिया इस प्रकार है :– रास्ते के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी, जो भू–अभिलेख निरीक्षक से कम रैंक का न हो, से निरीक्षण करवाएगा और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा। उपखण्ड अधिकारी का पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जांच जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात यदि समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और (2) अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है। तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। आवेदन उपखण्ड अधिकारी द्वारा 90 दिन के भीतर विनिश्चय किया जावेगा।

उक्त प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 118 के पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के आवेदन में वर्णित रास्ते ए–बी के बजाय डी–ई को निकटतम मानने से पूर्व कोई मौका निरीक्षण या कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई है बल्कि स्वयं अपने विवेक से ही निकटतम मान लिया है। जबकि राजस्व नक्शे के अवलोकन से दोनों रास्ते लगभग बराबर प्रतीत होते हैं तथा राजस्व नक्शे का स्केल छोटा होने के कारण खसरा नं. 116 गै.मु. रास्ता किस प्रकार व किस खसरा में मौके पर खुलता है यह तथ्य भी मौका रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मौका निरीक्षण करके ही निकटतम रास्ते का निर्धारण किया जा सकता है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का कथन है कि यदि पत्रावली पर संपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध है तो प्रकरण रिमाण्ड नहीं किया जाना चाहिए परंतु इस प्रकरण

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में ए–बी रास्ता व डी–ई रास्ते में से कौनसा निकटतम है यह साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं तथा खसरा नं. 118 के खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है। अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के स्तर पर निर्णय पारित किया जाना संभव नहीं है इसी कारण रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. अगस्त 2006 पेज 515, 2010(2) आर.आर.टी. 1344, 2009(1) आर.आर.टी. 49, 2007(1) आर.आर.टी. 385 (हाईकोर्ट) भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा खसरा नं. 596 के खातेदारों को अपील में पक्षकार नहीं बनाने पर आपत्ति जाहिर की है परंतु प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए यह आपत्ति तकनीकी प्रतीत होती है। अतः इस न्यायालय की राय में प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2018 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251क के प्रावधानों एवं संबधित नियम 68 से 70 की पूर्ण पालना करने के लिए पुनः मौका निरीक्षण स्वयं या तहसीलदार बावड़ी के स्तर से करावें तथा प्रभावित सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः दो माह की अवधि में आदेश पारित किया जाना सुनिश्चत करें।

14/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर